

इसे वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 622]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2022—अग्रहायण 23, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13/14 दिसम्बर 2022

फा. क्र. 4150-इक्कीस-ब(दो)-2022.—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1974 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 को उपधारा (8) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश पुलिस की विशेष इकाइयों, एटीएस, सायबर सेल एवं अपराध अन्वेषण ब्यूरो (सीआईडी) द्वारा अन्वेषित अपराध से उत्पन्न सत्र प्रकरणों में, जिले में पदस्थ उप-संचालक, लोक अभियोजन / जिला अभियोजन अधिकारी, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी तथा 10 वर्ष या उससे अधिक सेवा के सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों को एतद्वारा “विशेष लोक अभियोजक” के रूप में नियुक्त करता है।

उपरोक्तानुसार नियुक्त किये गये विशेष लोक अभियोजकों के मध्य कार्य का आवंटन इस आदेश के अध्यधीन रहते हुए “संचालक लोक अभियोजन” द्वारा किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश चन्द्र शर्मा, सचिव.